

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVISED LIST OF BUSINESS

Wednesday, 28 March 2018 / 07 Chaitra 1940 (Saka)

2.00 PM

1. Question Hour :

Starred Questions as shown in the separate list to be asked and replies given.

2. Special Mention(Rule-280) :

The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Shri Jagdish Pradhan | 6. Shri Om Prakash Sharma |
| 2. Shri Adarsh Shastri | 7. Shri Ajay Dutt |
| 3. Shri Shri Dutt Sharma | 8. Ms. Rakhi Birla |
| 4. Shri Rajesh Gupta | 9. Shri Vijender Gupta |
| 5. Shri Jitender Singh Tomar | 10. Shri Vishesh Ravi |

3. Motions seeking extension of time for submission of Committee Report :

I. 1. Shri Somnath Bharti

2. Shri Amanatullah Khan

To move the following Motion : *“That this House agrees to extend the time for submission of the Report of the ‘Special Inquiry Committee to investigate alleged illegal restoration of cancelled license of a ration shop in Burari’.* The Committee shall submit its report to the Hon’ble Speaker before the commencement of the Eighth Session of the Sixth Legislative Assembly.”

II. 1. Ms. Bhavna Gaur

2. Shri Ajesh Yadav

To move the following Motion : *“That this House agrees to extend the time for submission of the Report of the ‘House Committee on Municipal Corporations in Delhi’.* The Committee shall submit its report to the Hon’ble Speaker before the commencement of the Eighth Session of the Sixth Legislative Assembly.”

III. 1. Shri Saurabh Bharadwaj

2. Ms. Alka Lamba

To move the following Motion : *“That this House agrees to extend the time for submission of the Report of the ‘Special Inquiry Committee to probe alleged irregularities and corruption in bodies that are administering the games of Cricket and Hockey in NCT of Delhi’.* The Committee shall submit its report to the Hon’ble Speaker before the commencement of the Eighth Session of the Sixth Legislative Assembly.”

IV. 1. Shri Saurabh Bharadwaj

2. Shri Vishesh Ravi

To move the following Motion: *“That this House agrees to extend the time for submission of the Report of the ‘Special Committee to examine the Message dated 13.09.2017 of the Hon’ble Lieutenant Governor.’* The Committee shall submit its report to the Hon’ble Speaker before the commencement of the Eighth Session of the Sixth Legislative Assembly.”

V. 1. Shri Rajesh Gupta

2. Shri Akhilesh Pati Tripathi

To move the following Motion : *“That this House agrees to extend the time for submission of the Report of the ‘Special Inquiry Committee to investigate alleged irregularities in award of a contract to M/s ESP India Pvt. Ltd. by the Transport Department of the Government of NCT of Delhi’.* The Committee shall submit its report to the Hon’ble Speaker before the commencement of the Eighth Session of the Sixth Legislative Assembly.”

4. Short Duration Discussion (Rule-55) :

Shri Saurabh Bharadwaj

Shri Nitin Tyagi

Smt. Bandana Kumari

To initiate discussion on the situation arising out of *“Officers of GNCT especially those belonging to IAS/DANICS cadre not attending meetings/phone calls/messages related to public works and official matters of MLAs”.*

Delhi
28 March 2018

C. Velmurugan
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
संशोधित कार्यसूची
बुधवार, 28 मार्च, 2018 / चैत्र 07, 1940 (शक)
2.00 बजे अपराह्न

1. **प्रश्न काल:** सदस्यों द्वारा पृथक् सूची में दिये गये प्रश्न पूछे जायेंगे और उनके उत्तर दिये जायेंगे।
2. **विशेष उल्लेख (नियम-280) :** निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगे:
 1. श्री जगदीश प्रधान
 2. श्री आदर्श शास्त्री
 3. श्री श्रीदत्त शर्मा
 4. श्री राजेश गुप्ता
 5. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
 6. श्री ओमप्रकाश शर्मा
 7. श्री अजय दत्त
 8. सुश्री राखी बिडला
 9. श्री विजेन्द्र गुप्ता
 10. श्री विशेष रवि
3. **समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव :**
 - क) **श्री सोमनाथ भारती**
श्री अमानातुल्लाह खां
निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि : *“यह सदन बुराड़ी में राशन की एक दुकान के निरस्त लाइसेंस के तथाकथित अवैध पुनः स्थापन की जांच के लिए विशेष जांच समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को, अपना प्रतिवेदन छठी विधानसभा के आठवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।”*
 - ख) **सुश्री भावना गौड़**
श्री अजेष यादव
निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि : *“यह सदन दिल्ली के नगर निगमों के लिए सदन की समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को, अपना प्रतिवेदन छठी विधानसभा के आठवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।”*
 - ग) **श्री सौरभ भारद्वाज**
सुश्री अलका लाम्बा
निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि : *“यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में हाकी और क्रिकेट खेलों की प्रशासनिक व्यवस्था करने वाले निकायों में कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए विशेष जांच समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को, अपना प्रतिवेदन छठी विधानसभा के आठवें सत्र के प्रारम्भ से होने से पहले प्रस्तुत करेगी।”*
 - घ) **श्री सौरभ भारद्वाज**
श्री विशेष रवि
निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि : *“यह सदन माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा सदन के नाम भेजे गये दिनांक 13 सितम्बर, 2017 के संदेश में जाहिर की गई चिंताओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को, अपना प्रतिवेदन छठी विधानसभा के आठवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।”*
 - ङ) **श्री राजेश गुप्ता**
श्री अखिलेषपति त्रिपाठी
निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि : *“यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा मै0 ई.एस.पी. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को संविदा जारी करने में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए विशेष जांच समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को, अपना प्रतिवेदन छठी विधानसभा के आठवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।”*
4. **अल्पकालिक चर्चा (नियम-55):**
 - श्री सौरभ भारद्वाज**
 - श्री नितिन त्यागी**
 - श्रीमती बंदना कुमारी**
“राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अधिकारियों विशेषकर आई.ए.एस./दानिक्स कैंडर के अधिकारियों द्वारा जनता के कार्यों तथा विधायकों के सरकारी मामलों से संबंधित मीटिंग/फोन कॉल/मैसेज को अटेंड न करने से उत्पन्न स्थिति” के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।